① A

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा

दिनांक : फरवरी 11, 2020

नीलामी सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर मथुरा में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 की अवधि के लिये निम्न प्रतिष्ठानों की खुली ठेका नीलामी अलग-अलग की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान दिनांक 24.02.2020 को समय अपरान्ह 01.30 बजे केन्द्रीय कक्ष, जिला न्यायालय, मथुरा में उपस्थित होकर ठेका नीलामी की बोली में भाग ले सकते हैं।

प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व रू0 5000/- नगद अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करने होंगे जो बोली स्वीकार होने के पश्चात् ठेका की धनराशि में समायोजित किये जा सकेंगे। ठेका धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि ठेका बोली अन्तिम होने पर तुरन्त जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये न्यूनतम/आरक्षित बोलियों का उल्लेख नीलामी की शर्तों में किया गया है। ठेका नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में जनपद न्यायालय में कार्यालय केन्द्रीय नजारत एवं न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं। तथा शेष धनराशि तीन त्रैमासिक किस्तों में जमा करनी होगी। किसी भी अन्तिम बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला जज, मथुरा को होगा। अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को ठेका धनराशि के अतिरिक्त ठेका राशि की 10 प्रतिशत अनुबन्ध राशि स्टाम्प के रूप में, स्थाई निवास पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा दो जमानतें ठेका स्वीकृति के पश्चात तुरंत दाखिल करनी होंगी।

(सुरेन्द्र कुमार)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)/
अपर जिला न्यायाधीश, मथुरा

प्रतिष्ठानों का विवरण

1- स्टॉफ वेलफेयर कैन्टीन, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 2,77,200/-)
2- न्यायालय परिसर में फल की चाट/जूस स्टॉल, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 66,000/-)
3- दस न्यायालय कक्षीय भवन में फोटो कॉपियर का संचालन दुकान नम्बर-1, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 3,54,200/-)
4- दस न्यायालय कक्षीय भवन में फोटो कॉपियर का संचालन दुकान नम्बर-2, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 3,76,200/-)
5- पुरानी मुंसफी कम्पाउण्ड (जजेज कॉलोनी) स्थित फोटोकॉपियर की दुकान नम्बर-3/जलपान गृह, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 2,37,600/-)

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा

दिनांक : फरवरी 11, 2020

नीलामी सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर मथुरा में दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 की अवधि के लिये निम्न प्रतिष्ठानों की खुली ठेका नीलामी अलग–अलग की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान दिनांक 24.02.2020 को समय अपरान्ह 01.30 बजे केन्द्रीय कक्ष, जिला न्यायालय, मथुरा में उपस्थित होकर ठेका नीलामी की बोली में भाग ले सकते हैं।

प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व रू0 5000/– नगद अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करने होंगे जो बोली स्वीकार होने के पश्चात् ठेका की धनराशि में समायोजित किये जा सकेंगे। ठेका धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि ठेका बोली अन्तिम होने पर तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। उक्त प्रतिष्ठानों के लिये न्यूनतम/आरक्षित बोलियों का उल्लेख नीलामी की शर्तों में किया गया है। ठेका नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में जनपद न्यायालय में कार्यालय केन्द्रीय नजारत एवं न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं। किसी भी अन्तिम बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला जज, मथुरा को होगा। अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को ठेका धनराशि के अतिरिक्त ठेका राशि की 10 प्रतिशत अनुबन्ध राशि स्टाम्प के रूप में, स्थाई निवास पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा दो जमानतें ठेका स्वीकृति के पश्चात तुरंत दाखिल करनी होंगी।

(सुरेन्द्र कुमार)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)/
अपर जिला न्यायाधीश, मथुरा

प्रतिष्ठानों का विवरण

1- स्टॉफ वेलफेयर कैन्टीन, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 23,100/–)
2- दस न्यायालय कक्षीय भवन में फोटो कॉपियर का संचालन दुकान नम्बर–1, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 29,500/–)
3- दस न्यायालय कक्षीय भवन में फोटो कॉपियर का संचालन दुकान नम्बर–2, (बोली की न्यूनतम राशि रू0 31,350/–)